प्रेस नोट

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की पांचों लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 13 मई, 2009 को मतदान तथा दिनांक 16 मई, 2009 को मतगणना सम्पन्न की जायेगी।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान एवं मतगणना हेतु नियुक्त समस्त कर्मियों को/सुरक्षा बलों जिसमें राज्य पुलिस बल, पी.ए.सी., केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड, पी.वी.डी., चौकीदार, वन रक्षक तथा निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहीत वाहनों के वाहन चालकों एवं क्लीनरों को राज्य सरकार द्वारा बीमा से आच्छादित किया जायेगा।

2\. (क) इस बीमा के अर्न्तगत चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी कार्मिक की मृत्यु होने पर संबंधित कार्मिक के आश्रितों को नियमानुसार रूपये 5 लाख की धनराशि दुर्घटना बीमा के रूप मे देय होगी।

(ख) निर्वाचन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की आंतकी घटना यथा रोड़–माइन, बम ब्लॉस्ट, हथियारों से आक्रमण के कारण होने वाली मृत्यु पर संबंधित व्यक्ति के आश्रितों को नियमानुसार रूपये 10 लाख की धनराशि बीमा के रूप में प्रदान की जायेगी।

(ग) इसी प्रकार ड्यूटी के दौरान दुघर्टना में दोनों पैर, दोनों ऑखें या एक पैर तथा एक ऑख नष्ट हो जाने पर बीमा की अधिकतम रूपये 2.5 लाख की धनराशि नियमानुसार बीमा के रूप में देय होगी।

(घ) प्रस्तर–2 ख में उल्लिखित कारणों से दुघर्टना में दोनों पैर, दोनों ऑखें या एक पैर तथा एक ऑख नष्ट हो जाने पर बीमा की अधिकतम रूपये 5.00 लाख की धनराशि नियमानुसार बीमा के रूप में देय होगी।

3\. (क) बीमा आच्छादन के प्रयोजन हेतु निर्वाचन ड्यूटी का तात्पर्य उस अवधि से होगा जबसे निर्वाचन ड्यूटी (जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सम्मिलित है) पर नियुक्त कार्मिक निर्वाचन ड्यूटी हेतु उपस्थित होने के लिए अपने निवास स्थान/कार्यालय छोड़ने से निर्वाचन ड्यूटी समाप्त कर अपने निवास स्थान/कार्यालय तक पहुंचने के मध्य की अविध से होगा। यदि उक्त अवधि के मध्य किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है तो यह माना जायेगा कि उक्त घटना के कारण हुई मृत्यु अथवा क्षति निर्वाचन ड्यूटी के दौरान घटित हुई है।

(ख) बीमे का आच्छादन, निर्वाचन ड्यूटी समाप्त होने के उपरान्त स्वतः समाप्त माना जायेगा।

दिनांक 15–04–2009

(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी